and (b) Delhi Administration have reported that the construction work for the building of the Hospital will be started only after the plan of the hospital buildings is approved and administrative approval and expenditure sanction are obtained for the work.

सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये माल का निपटान

1184. **डा. अबरार अहमद :**
श्रीमती सत्या बहिन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये माल के निपटान की प्रक्रिया क्या है और बंद स्थिति में पकड़े गये ब्रीफ केसों और अटैचियों को खोलने के लिए किस स्तर के अधिकारी अथवा कर्मचारी प्राधिकृत हैं और क्या ऐसे ब्रीफ केसों और अटैचियों में पाये गये सामान की कोई सूची बनाई जाती है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कस्टम शाप पर उपभोक्ताओं और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को बेचे जाने वाली अधिकांश वस्तुएं सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों में बंट जाती हैं अथवा सीधे खुले बाजार में पहुंचा दी जाती हैं ; और

(ग) क्या कस्टम शाप पर बिक्री के लिए उपलब्ध माल की एक स्टाक सूची रोज सूचना पट पर लगाई जाती है और भावी संदर्भ के लिए एक रिकार्ड फाइल में रखा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अधिगृहीत जब्तशुदा माल की थोक बिक्री मंजूरशुदा सहकारी समितियों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी संघों को की जाती है जो इसे आगे सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भन्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचते हैं । ऐसा माल सैनिक/अर्ध-सैनिक/पुलिस कैंटीनों में भी बिक्री के लिए रखा जाता है । थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ये उपभोक्ता वस्तुओं सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से विशिष्ट व्यक्तियों तथा विभागीय अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों को पहले आवे-पहले पावे के आधार पर भी बेची जाती हैं । इस बारे में अनुदेश किए हुये हैं कि सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए जारी टेलिविजन, वीडियो, कैसेट, रिकार्डरों, कलाई की घड़ियों आदि जैसी अधिक मूल्य की वस्तुओं का अधिशेष का ब्यौरा प्रति दिन बिक्री आरम्भ करते समय खुदरा दुकान के बाहर सुस्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये ।

विदेशी मूल के माल का अधिग्रहण दो निष्पक्ष गवाहों की मौजूदगी में माल की सूची बनाने के बाद ही किया जाता है, न कि ताला लगे बाक्सों/ब्रीफ केसों के रूप में किया जाता है । अभिग्रहण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत माल सीमा-शुल्क विभाग के गोदामों/भण्डागार में जमा करवा दिया जाता है और इसे स्टाक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है । निरीक्षक निवारक अधिकारी के स्तर का अधिकारी इन गोदामों का अभिरक्षक होता है । इस संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह ऐसी नहीं है कि उसके अन्तर्गत अभिगृहीत/जब्तशुदा माल को सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चोरी-छिपे वितरित किया जा सके अथवा चोरी-छिपे बाजार में बेचा जा सके और इसके परिणामतः हुई हानि ध्यान में ही न आये ।

Identification of pollution creating industries

1185. SHRI SHIV PRATAP MISHRA:
SHRI B. K. HARIPRASAD :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have identified the most polluting industries in the country; if so, the names thereof;